

## Mandal System of Kautilya

Q.6 कौटिल्य का मंडल सिद्धान्त क्या है?

उत्तर :- अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मंडल सिद्धान्त का विशद वर्णन किया है। एक राज्य का अपने पड़ोसी राज्य के साथ के संबंध का विश्लेषण मंडल सिद्धान्त के अन्तर्गत किया गया है तथा विदेशी राज्य के संबंध को पादुगुन्य नीति के अन्तर्गत किया है। नीति तथा स्मृतिग्रन्थ मंडल सिद्धान्त का आधार है। वास्तव में जिस मंडल सिद्धान्त की विवेचना अर्थशास्त्र में की गई है उसका वर्णन रामराज्य में दिग्विजय सिद्धान्त के अन्तर्गत ही किया गया था।

Mandal का साब्दिक अर्थ होता है - "राज्यों का वृत्त"। इस सिद्धान्त में मंडल केन्द्र जैसा राजम होता है जो अपने निकटस्थ राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करने का आकांक्षी होता है। कौटिल्य ने जैसे राजा को विजय की इच्छा रखने वाला विजिगीषु राजा कहा है। एक राजा का पड़ोसी राज्य नितान्त स्वामाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो भी राज्य होगा, वह अरि राज्य होगा। विजिगीषु के राज्य से अलग किन्तु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र होता है और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र



राज्य होता है। अर्थात् अपने निकटतम  
 शत्रु पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु उसके  
 आगे का मित्र और उससे आगे का  
 अरि - मित्र-मित्र यही क्रम सिलसिलेवार ढंग  
 से चलता है। यह सिद्धान्त क एक राजा  
 को विजय की आकांक्षा रखने वाला समझ  
 कर उसके चारों ओर मंडल की संरचना  
 करता है। मंडल सिद्धान्त बार राज्यों के  
 घट पर आधारित है इसका केन्द्र एक  
 ऐसा राजा होता है जो अपने पड़ोसी  
 राज्य को अपने राज्य में मिलाने का  
 आकांक्षी होता है ऐसे राज्य के राजा  
 को ही विजिगीषु कहा जाता है। बल  
 बाल्मिकी और तुलसी रामायण में अश्व-  
 मेघ यज्ञ के द्वारा चक्रवर्ती राजा की  
 योजना पूरा होने की जो आकांक्षा निर्धारित  
 की गई है, वही द्यैय मंडल  
 सिद्धान्त का भी है। मंडल में कुल  
 बारह प्रकार के राज्य होते हैं यथा -  
 विजिगीषु, अरि, मित्र, अरि - मित्र, मित्र -  
 मित्र, अरि - मित्र - मित्र, पाषिर्णग्रह, आक्रन्द,  
 पाषिर्णग्राहंसार, आक्रन्दसार, मध्यम तथा  
 उक्षसीन। भौगोलिक दृष्टि से विजिगीषु  
 मंडल के बीच में रहता है। अरि, मित्र,  
 अरि - मित्र, मित्र - मित्र, अरि - मित्र - मित्र,  
 ये पाँच राज्य विजिगीषु के सामने तथा  
 पाषिर्णग्रह, आक्रन्द तथा पाषिर्णग्राहंसार  
 और आक्रन्द सार उसके पीछे रहते



हैं। शेष दो राज्य मादरग और उदासीन कहीं भी रह सकते हैं। मंडल सिद्धान्त की विवेचना करने के लिए यह ग्राफ बनाना आवश्यक है जो निम्नलिखित है:-

क	विजिगीषु	1५	विजिगीषु
ख	अरि (दुश्मन)	२५	अरि (दुश्मन)
ग	मित्र	३५	मित्र
घ	अरि-मित्र	४५	अरि - मित्र
च		५५	मित्र - मित्र
		६५	अरि - मित्र - मित्र
विजय का आकांक्षी राजा		७५	पार्ष्णि ग्राह (पीठ का शत्रु)
		८५	आक्रन्द (पीठ का मित्र)
		९५	पार्ष्णि ग्राहसार (पीठ के शत्रु का मित्र)
		१०५	आक्रन्द सार (आक्रन्द का मित्र)
		११५	मध्यम
		१२५	उदासिन

मंडल के मध्य में विजय का आकांक्षी विजिगीषु राजा रहता है। विजिगीषु के सामने और लगा हुआ राज्य उसका शत्रु है अतः वह अरि राज्य कहलाता है। अरि के सामने मित्र राज्य है जो विजिगीषु का मित्र तथा अरि का शत्रु होता है। मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि का मित्र है तथा विजिगीषु का शत्रु है। अरि-मित्र के सामने वाला राज्य मित्र-मित्र कहलाता है चूंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है अतः विजिगीषु के साथ भी



उसकी मित्रता होती है। मित्र - मित्र के आगे का राज्य अरि - मित्र - मित्र कहलाता है वह शत्रु मित्र का मित्र होता है अतः शत्रु राज्य के साथ उसके संबंध मधुर तथा विजिगीषु के साथ उसके संबंध कटु होते होते हैं। विजिगीषु के पीछे जो राज्य रहता है वह पार्ष्णिग्राह कहलाता है तथा अरि राज्य की तरह ही वह विजिगीषु का शत्रु होता है। उसके पीछे विजिगीषु का मित्र राज्य आक्रन्द होता है। आक्रन्द के पीछे वाला राज्य आक्रन्द का शत्रु तथा पार्ष्णिग्राह का मित्र पार्ष्णिग्राहसार होता है उसके पीछे का राज्य आक्रन्द का मित्र होता है अतः वह आक्रन्दसार होता है। मध्यम राज्य का प्रदेश विजिगीषु तथा परिराज्य (शत्रु तथा मित्र दोनों) दोनों के ही सीमा से लगा हुआ होता है। दोनों से अधिक शक्तिशाली होने के कारण वह उनकी सहायता भी करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह उनका मुकाबला भी करता है। विजिगीषु, अरि तथा मध्यम - इन तीनों की सीमाओं से बिल्कुल पृथक् उदासीन राजा रहता है। अधिक शक्तिशाली होने के कारण वह उनकी सहायता भी कर सकता है एवं मुकाबला भी कर सकता है।

ग्रण्डल का विश्लेषण यद्यपि सामान्तर रेखा में अवस्थित राज्यों के रूप में की जा सकती है तथापि इसका अध्ययन घृताकार परिधि क्षेत्र की ओर संकेत देता है।



(5)

मण्डल सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्यों के जो विभिन्न नाम तथा सम्बंध वाक्ता बताये गए हैं वे परिस्थिति तथा कालानुसार बदल भी सकते हैं। परिवर्तित स्थिति के कारण विलीनीय, अरि तथा मित्र का रूप बदल सकता है। वारह राज्यों का होना मण्डल सिद्धान्त के लिए अतिआवश्यक भी नहीं है क्योंकि उनमें काल तथा स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। मण्डल के सभी राज्यों की शक्ति प्रायः एक समान होती है परन्तु निःसन्देह ही उदासीन तथा मध्यम राज्यों की स्थिति भिन्न होती है। अतः मण्डल समान शक्ति वाले राज्यों का एक ऐसा समूह है जो दो विरोधी शक्तों में विभक्त रहता है। दुर्बल राज्यों को अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अतर्क रहने तथा उनकी विस्तार नीति से अपनी रक्षा के लिए ही मंडल निर्माण की सलाह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अन्तर्गत ही है। वास्तव में इस सिद्धान्त का आधार शक्ति संतुलन है चूंकि युद्धों को पूर्ण तथा समाप्त नहीं किया जा सकता है अतः उसके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसी नीति (मंडल सिद्धान्त) आवश्यक है जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेक पूर्ण संतुलन बना रह सके और युद्ध की संभावना को शलाका जा सके।

भौगोलिक दृष्टि से आज



मंडल सिद्धान्त का महत्व समाप्त सा हो गया है क्योंकि आज विभिन्न इकाई-राज्यों की विखंडना के लिए नहीं बल्कि उनको एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आज के युग में विजिगीषु राज्यों का कोई स्थान नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के युग में राज्य विस्तार नीति अथवा शुद्ध नीति को किसी भी रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। आज संघ राज्य का पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहता है। मंडल सिद्धान्त की तरह वह उनका शत्रु नहीं होता है। आज मात्र सीमा के आधार पर ही दो देशों का संबंध स्थापित नहीं होता है बल्कि व्यापारिक तथा पारस्परिक हित उन्हें एक सूत्र में भी बाँधते हैं तथा एक दूसरे के स्तर पर संघर्ष के लिए भी प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने कुटनीतिक समझौते नहीं किए हों नाहें पूंजीवादी हो या साम्यवादी। असंलग्न नीति के अगर्भक तीसरी दुनिया के देशों ने भी विकास की आड़ में शक्तिशाली देशों के साथ व्यापारिक और कुटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। अतः कौटिल्य का मंडल सिद्धान्त आज भी राज विज्ञानों को किसी न किसी रूप में प्रेरणा देता रहा है। मंडल सिद्धांत कौटिल्य की विदेश नीति संबंधी, मुद्रावृत्त और व्यावहारिक राजनीति में उसकी इसता तथा स्व दूरदर्शिता का परिचायक है। वास्तव में मंडल सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत सिद्धान्तों तथा वास्तविक घटनाओं पर आधारित है।



## भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति ?

80  
उत्तर :

इस दौरा में राष्ट्रवाद के विकास के परिणामस्वरूप राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और योंही ही समय में British Indian Association, Indian League, Indian Association, Bombay Association इना की सार्वजनिक सभा और राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में अनेक राजनीतिक संघों की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों या संगठन की दृष्टि से अकार्यप्रण नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया का ही एक बृहत रूप था। अतः कांग्रेस संगठन की स्थापना की पृष्ठ भूमि के रूप में कांग्रेस के स्थापना की पृष्ठ भूमि के रूप में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों का रूप इस प्रकार है। जैसे :-

- a) Indian Association - (भारतीय परिषद्)
- b) Bombay Association (Presidency Association)
- c) National League (बंगाल में)
- d) Majani Sabha - (मद्रास में)
- e) British Indian Association.

इसी प्रकार 1881 में मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई। ऊपर ही गई संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा था। 1875 के बाद लॉर्ड लिटन के अविवेकपूर्ण कार्यों और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इलबर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने अखिर भारतीय लक्षण के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता स्पष्ट की। इन परिस्थितियों में सर्वप्रथम संभवतः एक



(2)

अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी Allan Octavian  
ह्यूम के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना का  
विचार का उदय हुआ। अतः ह्यूम को ही इस  
संस्था का जन्म दाता माना जाता है। उन्होंने  
1 March 1885 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातको  
के नाम एक अत्यन्त हृदय स्पर्शी पत्र लिखा।  
इस पत्र में उन्होंने 50 ऐसे नवयुवकों की आँग  
की जो सच्चे निः स्वार्थ आत्मसंयमी, नैतिक,  
साहस रखने वाले तथा निः स्वार्थ हो। पत्र का  
अन्त बड़ा ही प्रभावदायक था जिसमें उन्होंने लिखा  
था कि :— “आपके कंधों पर रखा हुआ हुआ  
तब तक मौजूद रहेगा, जब तक आप इस सत्य  
को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को तैयार  
न होंगे। इसलिए आत्मबलिदान एवं निः स्वार्थ  
कर्म ही स्थायी सुख तथा स्वतंत्रता के पथ - प्रदर्शक  
होंगे।”

ह्यूम ने अपने योजना के संबंध में  
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरीन से वार्ता की।  
डफरीन ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना  
और प्रस्तावित संध के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने  
का सुझाव दिया। ह्यूम ने अपनी  
योजना में वायसराय के निर्देशों के अनुसार  
परिवर्तन किया और वे ईंग्लैंड पहुँचे।  
वहाँ इन्होंने लॉर्ड रिपन, डलहौजी, ब्राइट तथा  
स्लेग इत्यादि से विचार विनिमय किया।  
भारत के लॉर्ड के — पहले उन्होंने इंग्लैंड  
में भारतीय संसदीय समिति का गठन किया।  
जिसका उद्देश्य ब्रिटिश संसद के सदस्यों में



(3)

भारतीय मामलों के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करना था।

इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चित किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25-28 Dec 1885 तक होगा। लेकिन पूना में हुआ ही जाने के कारण अधिवेशन बम्बई में किया गया। 28 Dec 1885 को दिन के 11 बजे गोबुद्धास तैजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय के भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ। जिसमें अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्युमेश चन्द्र बनर्जी द्वारा की गई। अधिवेशन में भारत अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे :- दादा भाई नौरोजी, सरफरोजशाह मेहता, काशी नाथ तैलंग, बहखद्दीन तैय्यबजी, P.A. वान्चा, स्व. राधवान्शीय D. सुब्रमन्यम, नारायण गणेश चन्द्रविकर, आनंदा चालू इत्यादि उपस्थित थे। ये सारे कार्य सरकारी दृष्टिकोण से किए गये थे।

कूपलैण्ड में लिखा है कि — “भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी” और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने की आर्शिवाद दे दिया।”

अधिवेशन में सर विलियम वेंडरबर्न और राणाडे जैसे सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। उमेशचन्द्र बनर्जी ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए थे।

साम्राज्य के विभिन्न भागों में देशहित के लिए लगे हुए कार्य करनेवाले व्यक्तियों के बीच एकीकरण और मित्रता के संबंध स्थापित करना।

सभी देशवासियों में धर्म, वंश और प्रांत जैसे द्वेषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की



(4)

भावनाओं को मजबूत करना और उसे बढ़ाना।  
महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर  
भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा  
होने के बाद उनसे प्राप्त सहमतियों का संग्रह करना  
करना।

उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिसके  
द्वारा भारत के राजनितिक हित के कार्य करें।  
काँग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ विवाद :-

1. 0 ह्यूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा काँग्रेस को  
संगठित करने के उद्देश्य क्या थे ? इस संबंध  
में विद्वानों की राय एक जैसी नहीं है। विशेषकर  
दो विचारधाराएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनमें पहली  
धारणा के अनुसार काँग्रेस की स्थापना व्यापक  
असंतोष के कारण एक (Swampy valve) एक अभयद्विप  
के रूप में की गई थी। अर्थात् काँग्रेस का  
जन्म ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षा के लिए हुआ था।

काँग्रेस की स्थापना के संबंध  
में दूसरी धारणा यह थी कि — यह संगठन  
भारतवासियों के हित में एक राष्ट्रीय संस्था के  
रूप में है। अतः रजिबेसेन्ट लिखती है कि :-  
राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के  
लिए 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के  
द्वारा हुआ था। जिसकी चर्चा लालाजी ने रंग  
इंडिय में किया था।

काँग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के  
संबंध में जो दो दृष्टिकोण ऊपर उक्त किए गए  
हैं, वे दोनों आंशिक रूप से सत्य हैं। काँग्रेस  
की स्थापना की सही धारणा इसी रूप में की



जा सकती हैं कि कांग्रेस की स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षण की भावना तो विद्यमान थी किन्तु इसके साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारतीय राजनीति में उस समय दो प्रमुख धाराएँ थी। पहले मत के लोग हिंसा के द्वारा ब्रिटिश राज्य का अंत कर देना चाहते थे, जबकि दूसरे मत के लोग ब्रिटिश राज का अंत, कम से कम तत्काल में अंत नहीं चाहते थे। वे भारतीय शासन में भारतीय जनता का ऐसा प्रतिनिधित्व चाहते थे जो बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाय कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत स्वाशासन प्राप्त कर ले। Mr. Mume और कांग्रेस की स्थापना देश को वैधानिक प्रगति के अंग पर आगे बढ़ाने के लिए ही की गई थी।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में निर्माण हो चुका था। इसका उद्देश्य जाति, धर्म, (वर्ण) के किसी भेद-भाव के बिना सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना था। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चन्द्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे। दूसरे दादाभाई नौरोजी पारसी थे। तीसरे बहरुद्दीन तय्यबजी मुस्लिम थे तथा चौथे और पाँचवे क्रमशः जार्ज मूल एवं विलियम वेडरबर्न अंग्रेज थे। दूसरी गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर गाँधी जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि:-



काँग्रेस सचच्य अर्थों में राष्ट्रीय <sup>⑥</sup> है। यह किसी विशेष जाति, धर्म या हिन्द की प्रतिनिधि नहीं है। यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों के प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि उसकी अपज प्रारंभ में एक अंग्रेज के मस्तिष्क में हुई तथा दो महान व्यक्ति पारसियों नवरौजी एवं मेहता ने इसका पोषण किया। प्रारंभ में ही काँग्रेस के मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि शामिल थे, बल्कि मुझे यह भी कहना चाहिए कि इसमें सब वर्गों, धर्मों, साम्प्रदायों और हिन्दों का पूर्णतः के साथ प्रतिनिधित्व होता था।

इसमें संदेह नहीं कि काँग्रेस के अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी हिन्दू थे। इसका एक कारण यह है कि भारत की अधिकांश जनता हिन्दू है। काँग्रेस में अनुपातिक रूप में मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण यह भी था कि सर सय्यद अहमद जैसे प्रभावशाली व्यक्ति मुसलमानों को काँग्रेस के बाहर रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन काँग्रेस ने हमेशा से ही मुसलमानों सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा का पूरा-पूरा प्रयत्न किया और इस प्रकार उन्हें उसने राष्ट्रीय स्वरूप को बनाये रखा।

— 0 —